Weekly Focus
#97

संवैधानिक लोकाचार IV: स्वाधीनता (Liberties) और स्वतंत्रता (Freedom)

दिल्ली जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद लखनऊ चंडीगढ़ गुवाहाटी राँची प्रयागराज भोपाल

परिचय

कानून/विधि का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना या सीमित करना नहीं है, बल्कि इसे संजोये रखना तथा इसका विस्तार करना है। सभी राज्यों को विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि जहां कोई कानून नहीं है वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं है।

जॉन लॉक (सेकण्ड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट)

जॉन लॉक के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अधीन सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होते हैं। वे किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं। हालांकि, स्वभाव से ऐसी स्वतंत्रता या समानता को संरक्षित रख पाना अत्यंत कठिन है। दूसरों के द्वारा इसके हनन की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए, स्वतंत्रता खो जाने के भय और इस पर निरंतर खतरों को दूर करने के लिए एक व्यक्ति स्वयं या अन्य के साथ समाज से जुड़कर खुद को सरकार के अधीन कर लेता है ताकि जीवन, स्वाधीनता और संपदा को सुरक्षित किया जा सके।

इस तरह की सरकार राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती है। राजनीतिक शक्ति एक एकीकृत अवधारणा है। इसमें शक्ति या प्राधिकार (दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए) तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार (जो प्राधिकार के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करते हैं), दोनों शामिल हैं। यह एक संप्रभु राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी प्राथमिक कारक है। संप्रभु राज्य वस्तुतः कई संस्थानों का एक समूह होता है जो किसी क्षेत्र विशेष पर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।

भारत का संविधान भारत का एक मूलभूत दस्तावेज है। यह संप्रभु राज्य के निर्धारित फ्रेमवर्क, संस्थानों और प्रमुख कार्य–प्रणालियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, भारत का संविधानः

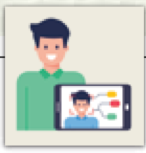

कई नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जो नागरिकों के लिए आवश्यक हैं; और

नागरिकों के लिए नागरिक स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु इन अधिकारों के साथ राज्य के प्राधिकार या शक्ति को संतुलित करता है।

इस आलेख में, हम निम्नलिखित विषयों पर क्रम से परिचर्चा करेंगेः

- सबसे पहले, संक्षिप्त विवरण के साथ नागरिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर परिचर्चा करेंगे;
- फिर, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त नागरिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे, जिसमें जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है;
- आगे, हम नागरिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता के उद्देश्यों एवं महत्त्व को जानने का प्रयास करेंगे।
- तत्पश्चात, हम स्वाधीनता के व्यावहारिक उपयोग के परिप्रेक्ष्य में भारत की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करेंगे। इससे हम नागरिकों के समक्ष उत्पन्न होने वाले समस्याओं/चुनौतियों की पहचान कर सकेंगे।
- उपर्युक्त मुद्दों/समस्याओं के आधार पर, हम 'आगे की राह' में उन संभावित तरीकों को जानने की कोशिश करेंगे, जो देश तथा उसके नागरिकों के बीच पारस्परिक संबंध को सतत रूप से बनाए रखने में मदद करते हैं।

नागरिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता के सिद्धांत

स्वाधीनता (Liberty) समाज के भीतर किसी व्यक्ति के "जीवन जीने के तरीके, व्यवहार या राजनीतिक विचारों पर प्राधिकार/ सरकार द्वारा लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों से मुक्त होने की स्थिति" है। संविधान द्वारा जिन स्वाधीनताओं की गारंटी दी गई है, उन्हें नागरिक स्वाधीनता (Civil liberties) के रूप में जाना जाता है।

नागरिक स्वाधीनता नागरिकों के प्रति सरकार के व्यवहार में संयम बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए– अनुच्छेद 19 के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसलिए, सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती है जो नागरिकों के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हों। हालांकि, स्वाधीनता का स्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों हो सकता है, जिन्हें टेबल में दर्शाया गया है।

नकारात्मक स्वाधीनता	सकारात्मक स्वाधीनता
यह किसी व्यक्ति के जीवन के उस क्षेत्र को परिभाषित और संरक्षित करती है जिसमें कोई भी बाह्य प्राधिकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।	यह समाज के उस क्षेत्र को परिभाषित करती है जहां एक व्यक्ति समाज और सरकार द्वारा आरोपित कुछ बाधाओं के साथ मुक्त जीवन जी सकता है।
यह समाज की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है।	यह समाज की सक्षमकारी परिस्थितियों से प्रभावित होती है।
यह 'से स्वतंत्रता (Freedom from)' के विचार की व्याख्या से संबंधित है।	यह 'की स्वतंत्रता (Freedom to)' के विचार की व्याख्या से संबंधित है।
यह क्षेत्र व्यक्ति के व्यक्तिगत दायरे में आता है।	यह क्षेत्र व्यक्ति के सामाजिक क्षेत्र के दायरे में आता है।
अधिक नकारात्मक स्वाधीनता अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है।	अधिक सकारात्मक स्वाधीनता किसी व्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में मदद करती है। यह सामाजिक स्थिरता के लिए बाधक हो सकती है।

स्वतंत्रता (Freedom) एक 'ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने, कार्य करने और सोचने का अधिकार प्राप्त होता है'। सीमाओं (बंधनों) की अनुपस्थिति के मद्देनज़र, अक्सर स्वतंत्रता एवं नागरिक स्वाधीनता एकसमान लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का संबंध मुख्य रूप से प्राधिकार (या सरकार) द्वारा आरोपित प्रतिबंधों/दायित्वों की अनुपस्थिति से है।

हालांकि, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की धारणा बहुत अधिक व्यक्तिगत भी है, क्योंकि यह पालन–पोषण, शिक्षा, संस्कृति, धर्म जैसे कई कारकों पर भी आधारित होती है।

भारत में नागरिक स्वाधीनताएं और उनके उद्देश्य

भारत की समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता और स्वतंत्रता संघर्ष की आकांक्षाओं के आधार पर, भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय को सार्थक जीवन जीने के लिए 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं (मूल अधिकार) की गारंटी देता है। ये निम्नलिखित हैं:

नागरिक स्वाधीनताएं (मूल अधिकार)

समता (या समानता) का अधिकार

- अनुच्छेद 14: समता का अधिकार (विधि के समक्ष समानता),
- अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध,
- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता,
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन, और
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।

स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 19: वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण,
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण,
- अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार), और
- अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम/बेगार (जबरन श्रम) का निषेध, और
- अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों को काम पर रखने पर प्रतिबंध।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता,
- अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, और
- अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और
- अनुच्छेद 30: शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- अनुच्छेद 32: संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

नागरिक स्वाधीनताओं के उद्देश्य

- सभी के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराना (समानता की भावना पैदा करना)।
- राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- विधि की सर्वोच्चता को बनाए रखना।
- अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना।
- राज्य के पूर्ण नियंत्रण को समाप्त कर सार्वजनिक प्राधिकार/सरकार में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना।

अन्य संवैधानिक अधिकार

- अनुच्छेद 265: विधि के प्राधिकार के बिना कर न लगाने का अधिकार।
- अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार।
- अनुच्छेद 301: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 326: मतदान करने का अधिकार।

सिद्धांत: प्राण और दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)

- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अन्य सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसे "द प्रोसिजरल मैग्नाकार्टा ऑफ़ इंडिया" की संज्ञा दी गई है।

- इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक व्याख्याओं ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में इसे सर्वाधिक जीवंत मूल अधिकार बना दिया है:

उद्देश्य 1: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित करने पर रोक

- अनुच्छेद 21 के तहत, "किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं"। इसका अर्थ है कि राज्य केवल 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित कर सकता है।
  - मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया (Due process of law)' के साथ–साथ 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)' भी शामिल है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि मनमाने, अनुचित या अतार्किक तरीके से अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। साथ ही, इस संदर्भ में राज्य की कोई भी कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

उद्देश्य 2: नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी

- मानवाधिकारों के समक्ष बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, अनुच्छेद 21 के दायरे के अधीन कई अंतर्निहित अधिकार शामिल किए गए हैं। ये अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार पर जोर देते हैं। हालांकि, इनमें कुछ ऐसे अंतर्निहित अधिकार शामिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से उत्पन्न हुए हैं अर्थात् इनका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए:
  - गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार और प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करना (मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, 1978)
  - आजीविका का अधिकार (ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाद, 1986– यह फुटपाथ पर रहने वालों व्यक्तियों से संबंधित था)
  - आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार (परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद, 1989)
  - स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाद, 1991)
  - शिक्षा का अधिकार (मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद, 1992 और जे. पी. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद, 1993)
  - आश्रय का अधिकार (चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, 1995)
  - स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार (पंजाब राज्य बनाम एम. एस. चावला वाद, 1996)
  - निजता का अधिकार {न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद, 2018} आदि

- इन निहित अधिकारों ने 'प्राण और दैहिक स्वाधीनता के संरक्षण' को भारतीय संविधान का एक सर्वाधिक जीवंत मूल अधिकार बना दिया है। इसके अलावा, ये निम्नलिखित घटकों को संतुलित बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी रहे हैं:
  - राज्य संबंधी गतिविधियां: उदाहरण के लिए– आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की कुछ अलग–अलग धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। हालांकि, इस अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था।
  - निजी व्यवसाय से जुड़े मामले: उदाहरण के लिए– सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसके तहत गैर–सहायता प्राप्त व गैर–अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को 25% आरक्षण प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
    - 86वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 की मदद से संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को संविधान में प्रभावी (अर्थात् मूल अधिकार) बनाया गया। अनुच्छेद 21A में 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निकटवर्ती स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति को मूल अधिकार बनाया गया है।
  - व्यक्तिगत गतिविधियां: उदाहरण के लिए– अनुच्छेद 21 में निहित स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत न्यायालय लोगों के पर्यावरणीय अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें वित्तीय मुआवजा देने के लिए कह सकता है। साथ ही, इस प्रावधान के आधार पर नीतियों में प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत जैसे सिद्धांतों को शामिल कर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। यह प्रावधान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली व्यक्तिगत गतिविधियों को सीमित करता है।
    - अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के लिए प्रदत्त स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 2010 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना की गई थी।

नागरिक स्वाधीनता का क्या महत्व है?

दुनिया के अधिकांश उदार लोकतंत्रों के लिए सामान्यतः, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का संरक्षण लोक विधि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। नागरिक स्वाधीनता/स्वतंत्रता के रूप में उन्हें संविधान (देश के मौलिक कानून के अधीन) में शामिल करने से उनका महत्त्व और बढ़ जाता है:

नागरिक स्वाधीनताएं भौतिक और नैतिक सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं

- नागरिक स्वाधीनताएं स्वतंत्र इच्छा (Free will) को बढ़ावा देती हैं और समानता की भावना लाती हैं। ये नागरिकों की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक मानी जाने वाली व्यक्तिगत गरिमा को संरक्षित बनाए रखने में मदद करती हैं।

नागरिक स्वाधीनताएं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार हैं:

- नागरिक इन अधिकारों के प्रवर्तन हेतु राज्य के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं।
  - ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन आती हैं।
  - यह आवश्यक नहीं है कि केवल पीड़ित पक्ष ही न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। जनहित याचिका (PIL) की मदद से भी कोई व्यक्ति जनहित में न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।
  - साथ ही, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जनहित में किसी मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं।

नागरिक स्वाधीनताएं संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा हैं

- इस संदर्भ में, संसद उन्हें केवल मूल ढाँचे के अतिक्रमण न होने तक ही संशोधित कर सकती है। नागरिकों के लिए सकारात्मक अधिकार होने के कारण, उन्हें राज्य पर नकारात्मक दायित्व के रूप में देखा जाता है।
  - यह कौशल और अवसरों के निर्माण की दिशा में नागरिकों की मदद हेतु राज्य पर कुछ सकारात्मक दायित्व भी आरोपित करता है। इससे वे स्वतंत्रता और स्वाधीनता का लाभ ले सकेंगे। उदाहरण के लिए–
    - प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब लोग राज्य की नीतियों का विरोध कर रहे हों, भले ही राज्य का प्राथमिक दायित्व उनके 'प्रदर्शन को रोकना' हो।

राज्य और निजी व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना

- ये प्रावधान राज्य के कार्यों और निजी व्यक्तियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। साथ ही, ये निम्नलिखित पहलुओं के संरक्षण में भी मदद करते हैं:
  - राज्य के अत्याचार या किसी भी मनमानी कार्रवाई से नागरिक के संरक्षण में, तथा
  - सामाजिक कुप्रथाओं के तहत पुरानी प्रचलित असमानताओं को दूर करने में। उदाहरण के लिए–
    - अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना।
    - मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम को रोकना।
    - धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों आदि के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना।

भारतीय संविधान के तहत रिट संबंधी प्रावधान

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), यानी सशरीर पेश करना

- इस रिट को न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति को सशरीर पेश करने के लिए जारी किया जाता है।
- यह किसी व्यक्ति के अवैध कारावास/हिरासत के मामले में जारी किया जाता है।

परमादेश (Mandamus) यानी हम आदेश देते हैं

- यह सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन के संबंध में जारी किया जाता है। इसे सार्वजनिक प्राधिकरण या
- अधिकारी या निचली अदालत या अधिकरण आदि के खिलाफ तब जारी किया जाता है, जब वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहते हैं या उन्हें करने से इनकार कर देते हैं।

प्रतिषेध (Prohibition), अर्थात् मना करना या रोकना

- यह अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकने या उस क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उनके पास नहीं है।
- यह प्रकृति में निवारक है और इसे न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जाता है।

उत्प्रेषण (Certiorari), यानी प्रमाणित होना या सूचना देना

- यह अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरण, अधिकारियों, बोर्ड आदि से रिकॉर्ड जमा कराने के लिए जारी किया जाता है, ताकि उनकी समीक्षा की जा सके।
- यह प्रकृति में सुधारात्मक है, क्योंकि यह निर्णयों को उच्च न्यायिक समीक्षा के अधीन लाता है।

अधिकार पृच्छा (Quo warranto), यानी आपकी नियुक्ति का आधार क्या है

- यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध कब्जे से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
- यह सार्वजनिक पद धारण करने का दावा करने वाले व्यक्ति की योग्यता (वैधता) की जांच करने हेतु जारी किया जाता है।

लोकतांत्रिक स्थिरता का संकेतक

- नागरिकों की नागरिक स्वाधीनताएं किसी राष्ट्र के लोकतंत्र की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

राज्य के पूर्ण नियंत्रण को समाप्त कर, राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से नागरिकों को संरक्षण मिलना

सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना

राज्य की आलोचना करने के नागरिक अधिकार के साथ–साथ कानून और प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी हेतु अवसर मिलना

देश में विधि के शासन और विधि के समान संरक्षण की स्थिति

नागरिक स्वाधीनता से जुड़े मुद्दे कौन-से हैं?

नागरिक स्वाधीनता की प्रकृति

- नागरिक स्वाधीनता को प्रतिस्पर्धी अधिकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका आशय यह है कि एक व्यक्ति की स्वाधीनता की सुरक्षा करते समय दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या उनपर युक्तियुक्त प्रतिबंध लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए– वाक् स्वतंत्रता के तहत सूचना का अधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा।
    - ऐसे में ये मूल अधिकार न तो पूर्ण हैं और न ही संवैधानिक संशोधनों से मुक्त हैं। हालांकि, संविधान के मूल ढांचे, जैसे– पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संघवाद, शक्तियों के पृथक्करण आदि को प्रभावित किए बिना इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है।
    - इसके अलावा, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार प्रदान करता है।

कानूनों को लागू करने में समस्याएं

- नागरिक स्वाधीनता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद, नागरिक स्वाधीनता की वास्तविक पहुंच/ उपलब्धता में समस्याएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए– गरीबी के कारण बाल श्रम और शिक्षा के सीमित अवसरों जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 4.35 मिलियन थी।

राज्य की कार्रवाइयां

- समय के साथ, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब राज्य की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप नागरिक स्वाधीनताओं का अतिक्रमण हुआ है या नागरिक स्वाधीनता संबंधी ढांचा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।
    - उदाहरण के लिए– मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में किसी भी कानूनी चुनौती से बचने के लिए संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया था।

‘अधिकारों का बोध’ या ‘राजनीतिक चेतना’

- राजनीतिक चेतना का आशय नागरिकों के अधिकारों को पारस्परिक मान्यता और उन्हें प्रोत्साहन देने से है। हालांकि, इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे–
  - व्यक्तिगत या राज्य की कार्रवाई द्वारा नागरिक स्वाधीनता का उल्लंघन होना, उदाहरण के लिए– आबादी के विभिन्न समूहों में नागरिक स्वाधीनता संबंधी जागरूकता सीमित होने के चलते श्रमिकों का शोषण होता है।
  - युक्तियुक्त निर्बंधनों का समर्थन न करना, अर्थात् नागरिक स्वतंत्रता की सीमित समझ ने ऐसे परिदृश्य का निर्माण किया है जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं या दायरे का अतिक्रमण करने लगते हैं और सामूहिक कल्याण को नुकसान पहुंचाते हैं।

नागरिक स्वाधीनता के प्रोत्साहन और क्रियान्वयन के लिए आगे की राह

सकारात्मक स्वाधीनता का विकास करना

- आत्म–बोध या स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में राज्य को व्यक्तियों के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, जैसे:
  - यह प्रत्यक्ष तौर पर सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) रणनीति की सहायता से नागरिक स्वतंत्रता तथा उनके महत्त्व पर जागरूकता पैदा करके किया जा सकता है।
  - अप्रत्यक्ष रूप से यह व्यवहारपरक विज्ञान (Behavioural sciences), जैसे– नज तकनीक (Nudge Technique) का उपयोग करके किया जा सकता है। यह नागरिकों को एक पसंदीदा मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए– अपने डेटा और निजता की रक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डेटा संरक्षण कानून को लागू करना चाहिए।

कानून और स्वाधीनता के मध्य ताल–मेल को बनाए रखना

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, शासक का एक प्रमुख कर्तव्य लोगों के कल्याण की रक्षा करना है। यह ज्ञान आधुनिक समय के लोकतंत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए:
  - यह सुनिश्चित करना कि सरकार लोगों के कल्याण की रक्षा से संबंधित अपने दायित्व का पालन करे।
  - सरकार को उन कानूनों के निर्माण एवं अनुपालन से बचना चाहिए, जो इन स्वतंत्रताओं तथा स्वाधीनताओं का अतिक्रमण करते हों।

स्वतंत्र न्यायपालिका

- स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिक स्वाधीनता के उल्लंघन को रोकने, कानून लागू करते समय इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और नागरिकों पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण को रोकने में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है।

नागरिक समाज और मीडिया को प्रोत्साहित करना

- वकील, पत्रकार, नागरिक समाज आदि जैसे समाज के प्रहरी निम्नलिखित प्रयासों की सहायता से 'स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संरक्षण' को एक मौलिक राजनीतिक मूल्य बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं:
  - वर्तमान स्थिति की पहचान करना और वर्तमान कानूनों तथा नीतियों में सुधार का सुझाव देना।
  - नागरिक स्वाधीनता के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनकी रक्षा के लिए लोगों को संगठित/ एकजुट करना।
  - कानून बनाते समय और उनके कार्यान्वयन के दौरान राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता और स्वाधीनता आधुनिक समाज के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये दायित्वों/ कर्त्तव्यों की सहायता से राज्य प्राधिकार को नियंत्रित करके व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हैं। साथ ही, इनके बिना कोई भी सरकार लम्बे समय तक शांति और समानता को कायम नहीं रख सकती है।

"जो लोग थोड़ी अस्थायी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वाधीनता को त्याग देते हैं, वे न तो स्वाधीनता के पात्र होते हैं और न ही सुरक्षा के।"

—बेंजामिन फ्रेंकलिन

टॉपिक: एक नज़र में

स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता

स्वाधीनता समाज के भीतर किसी व्यक्ति के "जीवन जीने के तरीके, व्यवहार या राजनीतिक विचारों पर प्राधिकार/सरकार द्वारा लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों से मुक्त होने की स्थिति" है।

स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने, कार्य करने और सोचने का अधिकार प्राप्त होता है।

नागरिक स्वाधीनताएं (मूल अधिकार)

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

नागरिक स्वाधीनताओं के उद्देश्य

- सभी के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराना
- राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना
- विधि की सर्वोच्चता को बनाए रखना
- समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना
- जिम्मेदारी की भावना पैदा करना

नागरिक स्वाधीनता का महत्व

- भौतिक और नैतिक सुरक्षा को बढ़ावा
- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय
- संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा
- राज्य और निजी व्यक्तियों की कार्रवाईयों पर नियंत्रण
- लोकतांत्रिक स्थिरता का संकेतक

नागरिक स्वाधीनताओं से जुड़े मुद्दे

- ये न तो पूर्ण हैं और न ही संवैधानिक संशोधनों से मुक्त हैं
- कानूनों को लागू करने में समस्याएं
- राज्य की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप नागरिक स्वाधीनताओं का अतिक्रमण (उदाहरण के लिए– संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल करना)
- व्यक्तिगत या राज्य की कार्रवाई द्वारा नागरिक स्वाधीनता का उल्लंघन होना
    - नागरिकों द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधनों का समर्थन न करना

आगे की राह

- सकारात्मक स्वाधीनता का विकास करना, अर्थात् आत्म–बोध या स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में राज्य को व्यक्तियों के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना कि सरकार लोगों के कल्याण की रक्षा से संबंधित अपने दायित्व का पालन करे।
- उन कानूनों के निर्माण एवं अनुपालन से बचना चाहिए, जो स्वतंत्रताओं तथा स्वाधीनताओं का अतिक्रमण करते हों।
- नागरिक स्वाधीनता के उल्लंघन को रोकने या कानून प्रवर्तन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका।
- स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नागरिक समाज और मीडिया को प्रोत्साहित करना।